छत्तीसगढ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 5–70 / 2017 / 10–2 रायपुर,दिनांक 27/ 07 / 2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam-Taralaguda section in State of Chhattisgarh under LWE scheme, area - 104.8847 ha.

संदर्भः– आपकी कार्यालयीन टीप दिनांक 01.05.2018।

---00---

विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरुप आपकी कार्यालयीन टीप दिनांक 01.05.2018 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत् पेनाल्टी राशि की गणना कर गणना पत्रक भेजा गया था।

2 /– उक्त गणना पत्रक अनुसार दिनांक 01.05.2018 की स्थिति में रु. 6,82,63,327 /– लोक निर्माण विभाग से दंड स्वरुप वसूल की जानी थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये इस दंड राशि की वसूली शिथिल करने के निर्देश को वित्त विभाग की सहमति हेतु वित्त विभाग को दिनांक 20.06.2018 को भेजा गया था। विषयांकित प्रकरण में वित्त विभाग ने दिनांक 05.07.2018 को निम्नानुसार अभिमत दिया है :–

" प्रस्ताव में दंड की राशि लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को दी जानी है। अतः यह मत दिया जाता है कि दण्ड की राशि जमा कर Forest Clerance की अनुमति प्राप्त की जावे।"

3 /– कृपया वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक / एफ 5–70 / 2017 / 10–2 रायपुर,दिनांक 27/ 07 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर, छत्तीसगढ़ ।
3. वनमंडलाधिकारी बीजापुर, वनमंडल बीजापुर, छत्तीसगढ़,
4. आवेदनकर्ता मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग